राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4919/2022

अनिता भास्कर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मिथलेश चारण, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, झोटवाड़ा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022
आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– एम.एस काला, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाड़ा पुलिया के नीचे, झोटवाड़ा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बी जमवारामगढ़ में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को पदस्थापित किया है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक साल के अन्तराल के बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण

किया गया है, जबकि स्थानान्तरण नीतियों अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण 2 वर्ष से पूर्व नहीं किया जायेगा, को अनदेखा करते हुए एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को संमजित करने के उद्देश्य से उक्त आदेश जारी किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी का पति उप निदेशक के पद जिला नागौर में अपने निवास स्थान से 250 कि.मी. दूर पदस्थापित है तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 80 कि.मी. दूर किया गया है तथा अपीलार्थी का पुत्र जो कि जयपुर में अध्ययनरत है, इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पति–पत्नी दोनों को वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरण करने से अपीलार्थी के बच्चे की अध्ययन पर विपरित प्रभाव पडेगा, को अनदेखा करते हुए तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को टीए.डीए. भी नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से उक्त आदेश जारी किया गया है अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। और अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाडा पुलिया के नीचे, झोटवाडा, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि

में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम.एस.काला)
सदस्य